

प्रधान

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

संदर्भ में

प्रबन्धक,
लखनऊ पब्लिक स्कूल,
विश्वास खण्ड-4, गोमतीनगर, लखनऊ।
पत्रांक/परिचय-एस०टी०/ ५३२०

/2014-15, दिनांक: दिसम्बर - 26 - 2014

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4)
तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र

महोदय

आपके आवदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति
निर्देश से, मैं जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को तारीख 1-7-2014 से
30-6-2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी से जूड़ा०स्कूल स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) के
लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त नियमावली निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1-मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात
मान्यता/संबंध करने के लिए कोई वाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2-विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपावंध 1) और नि:शुल्क
और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010(उपावंध 2) तथा नियमावली 2011 के उपबंधों का
पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक¹
आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों
के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता
रखेगा।

5-मान्यताएँ/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके
माता-पिता या चारकाक को किसी रकीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूल न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा
और दह अधिनियम कीधारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(1)प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी
कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निकासित नहीं किया जाएगा।

(2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा
नहीं की जाएगी।

(4) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकायित किए गए
अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को
प्रवेश दिया जाना,

(6)अध्यापकों की भत्ती अधिनियम की धारा 23 (1)के अधीन यथा अधिकायित न्यूनतम अर्हताओं
के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के
प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित
करें।

(7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है
ओर,

- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिकारीदाम की बारा 19 में यथाविनियिट विद्यालय के नामकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
- पिटाइल वरियर का संत्र- 4736 वर्गमीटर
दाल नियमि हीप्रफल- 14990 वर्गमीटर
डॉउस्टल का क्षेत्रफल- पर्याप्त
कलात्मकों को संत्र- 10
प्रैक्टिकल वर्त कार्यालय- सह भौतिक के लिए कक्ष-04
वालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- पृथक-पृथक है।
प्रैक्टिकल सुविधा- उपलब्ध है।
मिन्ड डे मैल पकाने के लिए रसोई-1
बाजार रहित पहुँच- प्राप्त है।
अध्यापन पठन सामग्री/ कीड़ा खेलकूद उपस्कर्ता/ पुस्तकालय की उपलब्धता- उपलब्ध है।
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय के सोसाइटी रजिस्टरिकरण अधिनियम 1860(1860 का 21)के अधीन रजिस्टरीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- रक्त को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यवितयों के लाभ के लिए नहीं बलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रभागित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्द जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवाटि मान्यता कोड संख्यांक 88 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय एसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपीक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सरत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कार्यों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16- सोसाइटी के रजिस्टरिकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- शासनादेश दिनोंका 08-05-2013 में दिए गए समर्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

□

भवदीय,

Praveen Singh
(प्रवीन सिंह त्रिपाठी)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ *N*

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-
- 1- जिलाधिकारी, लखनऊ।
 - 2- पुरुष विकास अधिकारी, लखनऊ।
 - 3- सचिव उपराजीकरण विभा परिषद, लखनऊ।
 - 4- मण्डलीय ज़िलाधिकरण शिक्षा निदेशक (वैसिक) पट्ट मण्डल, लखनऊ।
 - 5- जिला समाज/जिला अत्यसंख्यक/जिला विचार वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
 - 6- कार्यालय बांड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
 - 7- कार्यालय बांड फाइल।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ